प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'चौदह'

[24/7/2017]

प्रश्न सं. [क्र. 1117]

परिशिष्ट–1

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ–43/01/2017/19/यो 2585 भोपाल दिनांक 05/05/2017

प्रति,

प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग
भोपाल।

विषयः– लोक निर्माण विभाग की स्थायी वित्तीय समिति की 158वीं बैठक।
(बडवानी जिले में बांदरिया बढ़ राखी बुजुर्ग मार्ग मे सुसरी नदी पर पहुंच मार्ग सहित जलमग्नीय पुल का निर्माण)

—0—

राज्य शासन एतद् द्वारा स्थायी वित्तीय समिति की 158वीं बैठक जो दिनांक 18.01.2017 को प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी, के अनुमोदन अनुसार बडवानी जिले में बांदरिया बढ़ राखी बुजुर्ग मार्ग मे सुसरी नदी पर पहुंच मार्ग सहित जलमग्नीय पुल का निर्माण कार्य जिसकी लागत रू0 650.00 लाख (रू0 छः करोड़ पचास लाख) केवल से अधिक न हो की योजना मद के अंतर्गत प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2/ उक्त कार्य हेतु वर्ष 2017–18 के मुख्य बजट में मॉग संख्या 24/5054 के अंतर्गत उपलब्ध धन राशि से संपन्न कराया जावें। कार्य हेतु प्राप्त प्राक्कलन वापिस किया जाता है। शासन चाहता है कि प्रारंभिक औपचारिकतायें पूर्ण कर कार्य नियमानुसार संपन्न कराया जावे, तथा प्रशासकीय स्वीकृति में प्रावधानित राशि से किसी भी स्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावें।

3/ उपरोक्त कार्य हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई तकनीकी स्वीकृति के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की जावें।

4/ उक्त स्वीकृत कार्य को वेबसाईड पर डाला जाये।

सहपत्रः–प्राक्कलन

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
5/5/17
(चन्द्रप्रकाश अग्रवाल)
सचिव
म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग

पृ.क्र................/योजना/प्रशासकीय स्वीकृति/संचार/17 1673 भोपाल दिनांक 8/5/17

प्रतिलिपिः–

1 मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग परिक्षेत्र भोपाल

2 अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग मण्डल भोपाल ....

3 कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग ....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

4 नार्वाड शाखा

5 बजट शाखा

मुख्य अभियंता (संचार)
कार्यालय/ प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभग म.प्र भोपाल